मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग / कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

दीनदयाल S/o रामेश्वर जाति नाई निवासी गांधीबड़ी बनाम 1. रामेश्वर पुत्र चिरताराम 2. बजरंग पुत्र रामेश्वर 3. धर्मी 4. निको 5. सिलोचना 6 रोशनी पुत्रियान रामेश्वर जाति नाई निवासी गांधीबड़ी 7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 217/2021

निर्णय दिनांक :– 08/12/2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र पंवार की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील गिरधारी अग्रवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/12/21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 1 SDR के खाता संख्या 99/87 के मु.न. 16, 26 के कुल किता 28 की कुल 5.313 है० प्रतिवादी रामेश्वर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 19 AMS के खाता संख्या 114/106 के मु.न 3 के कुल किता 4 की कुल 0.822 है० प्रतिवादी रामेश्वर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी दीनदयाल व प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वर, प्रतिवादी सं० 2 बजरंग को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं० 3 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़